

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

संख्या : 59-रिफार्म / विनियम / 2012

दिनांक : 17 मई, 2012 ५

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 16-05-2012 को सम्पन्न 195वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप एतद्द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (अभियन्ताओं की सेवा) विनियमावली, 1970' के विनियम-5(2) के अन्तर्गत अपेन्डिक्स 'डी' में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :--

वर्तमान प्राविधान 1. <u>Selection to the post of Chief</u> Engineer (L-1)

Selection to the post of Chief Engineer (L-1)and other equivalent posts as may specified by the Board in the cadre of the service shall be made from amongst such Chief Engineer (L-II) who have put in not less than 6 years service as Chief Engineer II)/Superintending Engineer such on the 1st July of the year of selection.

2. Selection to the post of Chief Engineer (Level – II)

Selection to the post of Chief Engineer (Level – II) and other equivalent posts as may be specified by the Board, in the cadre of the Service, shall be made from amongst Superintending Engineers who have put in 4 years service as such on July 1 of the year of selection.

प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित प्राविधान

1. <u>Selection to the post of Chief</u> Engineer (L-1)

(No change)

2. <u>Selection to the post of Chief</u> Engineer (Level – II)

Selection to the post of Chief Engineer (Level – II) and other equivalent posts as may be specified by the Board (now U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.), in the cadre of the Service, shall be made from amongst Superintending Engineers who have put in 08 years service as Supertending Engineer/Executive Engineer as such on

Dig Coy or

3. <u>Selection to the post of</u> Superintending Engineer

Selection to the post of Superintending Engineer and other equivalent posts, as may be specified by the Board in the cadre of the service shall be made from amongst the Executive Engineers who have, on July 1 of the year of Selection, put in minimum of 15 years service on the post of Assistant Engineer and higher posts under the State Govt. or the Board.

Provided that out of the above 15 years, at least 6 years service must have been rendered on the post of Executive Engineer and or other equivalent post;

Provided further that officers who have rendered not less than 6 years service as Executive Engineer as above may considered eligible for appointment to temporary and officiating posts Superintending Engineers even if they have rendered less than 15 years service on the post of Assistant Engineer and higher post.

July 1 of the year of selection.

3. <u>Selection to the post of</u> Superintending Engineer

Selection to the post of Superintending Engineer and other equivalent posts, as may be specified by the Board (now U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.) in the cadre of the service shall be made from amongst the Executive Engineers who have, on July 1 of the year of Selection, put in minimum of 04 years service as such on July 1 of the year of selection.

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 59(।)-रिफार्म/विनियम/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1— प्रबन्ध निदेशक के स्टाफ आफीसर, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता (स्तर-।)/(स्तर-।।), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय

J. Coy oz

- विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
- मुख्य अभियन्ता (स्तर-।)/(स्तर-।।), पी०पी०एम०एम०/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/ आर0एण्डएम0 / जानपद / पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार; 5-लखनऊ।
- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। 6-
- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन 7-विस्तार. लखनऊ।
- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। 8-
- उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-०२) / (मा०सं०-०३) / (मा०सं०-०४) / 9-(मा०सं0-05) / (रिफार्म / प्रशिक्षण / संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन 10-विस्तार, लखनऊ।
- महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ। 11-
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन 12-विस्तार, लखनऊ।
- सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, 13-लखनऊ।

कट फाइल। 14-

आज्ञा से.

महाप्रबन्धक (मा०सं०)